
 आवश्यक जानकारी 

17/03/2925

SIPF पोर्टल निम्नानुसार अपडेट कर सकते है

कार्मिक स्वयं अपडेट करे

1. कार्मिक अपने स्तर पर फैमिली डिटेल Add कर सकते है, हटा सकते है।
2. अपने स्तर पर नॉमिनी अपडेट कर सकते है।
3. अपने स्तर LOAN हेतु अप्लाइ कर सकते है।
4. अपने स्तर पर SI,GPF के पासबुक, अन्य दस्तावेज अपडेट कर सकते है।
5. अपने स्तर पर E-BAG, Update GRN, Update, Loan Detail Nps withdrawal Ets. अपडेट कर सकते है।

डीडीओ स्तर पर अपडेट:-

1. Basic Detail update किया जा सकता है (Employee Name, Father Name, Marited States, Pen, Gender, Email)
2. Contact Detail अपडेट कर सकते है
3. Scheme Details update कर सकते है।

उपरोक्त के अलावा अपडेट करवाने हेतु अपने जिले के सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को पत्र लिख कर अपडेट करावे

जैसे,- प्रथम नियुक्ति, स्थायीकरण, मुलवेतन, अन्य समस्त

नरेंद्र सिंह सालासर

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) मा. चुरू

